न्यायालय जिला न्यायाधीश, भदोही।
उपस्थित – श्री अखिलेश दूबे
एच.जे.एस. Jo Code 5725
सिविल पुनरीक्षण संख्या–69 सन् 2025

CNRNO.UPSN01–002485–2025

धर्मराज उम्र त० 45 साल पुत्र स्व० छविनाथ निवासी हरीपट्टी, विकास खण्ड अभोली, तहसील ज्ञानपुर, जिला भदोही। .....पुनरीक्षणकर्ता/याची।

बनाम

1. सलील कुमार उम्र त० 35 साल पुत्र लालचन्द
2. धर्मेन्द्र उम्र त० 34 साल पुत्र विजयबहादुर
3. बनारसी चौहान उम्र त० 39 साल पुत्र छोटेलाल
4. रामआसरे उम्र त० 49 साल पुत्र दूधनाथ
5. रामराज उम्र त० 67 साल पुत्र नोखई
6. श्यामनरायन उम्र त० 59 साल पुत्र केदार
7. हृदयनरायन उम्र त० 49 साल पुत्र रामचरन

   निवासीगण हरीपट्टी, विकास खण्ड अभोली, तहसील ज्ञानपुर, जिला भदोही।
8. रिटर्निंग अधिकारी ग्राम पंचायत हरीपट्टी विकास खण्ड अभोली, जिला भदोही।
9. सहायक रिटर्निंग अधिकारी ग्राम पंचायत हरीपट्टी विकास खण्ड अभोली, जिला भदोही।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण न्यायालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी औराई द्वारा नं0 मु0 वाद संख्या 3403/2021 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी 202116670403403 धर्मराज बनाम सलील कुमार आदि में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 25.08.2025 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान उपजिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी ने याची की चुनाव याचिका तथ्यहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त कर दिया है।

2. संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्ता /याची धर्मराज पुत्र छविनाथ निवासी हरीपट्टी, विकास खण्ड अभोली, तहसील ज्ञानपुर, जिला भदोही द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय/ उपजिलाधिकारी औराई, भदोही के यहॉ निर्वाचन याचिका अन्तर्गत धारा–12 सी (6) उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि याची का नाम ग्राम पंचायत हरीपट्टी, तहसील ज्ञानपुर, विकास खण्ड अभोली, जिला भदोही की मतदाता सूची में बतौर मतदाता नाम दर्ज है। सन् 2021 में सम्पन्न ग्राम पंचायत हरीपट्टी, विकास खण्ड अभोली, तहसील ज्ञानपुर के प्रधान पद हेतु याची ने नामांकन चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया और विपक्षीगण 1 लगायत 7 ने भी अपने–अपने नामांकन चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये, जो चुनाव अधिकारी द्वारा वैध करार दिया गया। ग्राम पंचायत हरीपट्टी, तहसील ज्ञानपुर विकास खण्ड अभोली जिला भदोही के लिए प्रधान पद हेतु मतदान दिनांक 15.04.2021 को सम्पन्न हुआ। ग्राम पंचायत हरीपट्टी में प्रधान पद हेतु बूथ संख्या 174 व 175 पर मतदान के लिए कुल 795 मतदाताओं ने अपने–अपने मतों का प्रयोग किया। मतगणना के समय मतगणना टेबल पर याची व उसके मतगणना एजेन्ट निलेश मौजूद थे। दिनांक 03.05.2021 को ग्राम पंचायत हरीपट्टी की जिस टेबल पर मतगणना की जा रही थी, उस मतगणना टेबल पर मतगणना कर्मी अध्यक्ष,

सभी कर्मचारी लेखपाल थे, जो कि विपक्षी सं० 1 सलील कुमार के मेली मददगार थे। विपक्षी सं० 1 सलील कुमार के भाई योगेश स्वयं क्षेत्रीय लेखपाल है और विपक्षी सं० 1 सलील कुमार को नाजायज लाभ पहुंचाने हेतु भ्रष्टाचार में लिप्त होकर शुरू से ही मतगणना में धांधली करते हुए मतगणना नियमावली का उलंघन करते हुए मतगणना शुरू किये और अवैधानिक तौर पर भ्रष्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत याची के 13 मतपत्रों को कैंसिल बताकर उसे कैंसिल किया गया और गलत तौर पर मतपत्रों में हेराफेरी की गयी। विपक्षी सं० 1 के बंडल में 45–46 मतपत्र का बंडल बनाकर उसे 50 की संख्या बताकर उसकी गिनती की गयी और याची के बंडल में 55–60 मतपत्र का बंडल बनाकर उसे 50 मतपत्र बनाकर उसकी गणना की गयी, जिसके लिए याची द्वारा विरोध किया गया और पुनः मतगणना की मांग की गयी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गयी और विपक्षी सं० 1 सलील कुमार के हक में परिणाम घोषित कर दिया गया। जिसके विरुद्ध याची / पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद सं0 3403/2021 धर्मराज बनाम सलील कुमार आदि संस्थित किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखों का अवलोकन करने के पश्चात प्रस्तुत चुनाव याचिका तथ्यहीन एवं बलहीन होने का उल्लेख करते हुए निरस्त कर दिया गया। उक्त आलोच्य आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका योजित की गयी है।

3. संक्षेप में, निगरानीकर्ता/याची के पुनरीक्षण के आधार इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता धर्मराज ने ग्राम पंचायत हरीपट्टी, विकास खण्ड अभोली, तहसील ज्ञानपुर, जिला भदोही का सन् 2021 में संपन्न ग्राम पंचायत हरीपट्टी के प्रधान पद हेतु नामांकन दाखिल किया और चुनाव प्रधान पद हेतु कन्टेस्ट किया। ग्राम पंचायत हरीपट्टी के प्रधान पद हेतु मतदान दिनांक–15.04.2021 को सम्पन्न हुआ और चुनाव परिणाम दिनांक–03.05.2021 को घोषित किया गया। सन् 2021 में सम्पन्न ग्राम पंचायत हरीपट्टी के चुनाव प्रधान पद की परिणाम घोषणा दिनांक 03.05.2021 को हुई उसमें विपक्षी संख्या 01 सलील कुमार जो प्रधान पद का प्रत्यासी था, उसे 177 मत दिखाया गया और निगरानीकर्ता को 174 मद दिखाया गया, इस प्रकार से मात्र 3 मत से विपक्षी संख्या 1 को विजयी घोषित किया गया। दिनांक 03.05.2021 को जो चुनाव परिणाम प्रधान पद का घोषित किया गया उसके विरूद्ध निगरानीकर्ता ने चुनाव याचिका अन्तर्गत धारा 12 सी न्यायालय उपजिलाधिकारी ज्ञानपुर के यहां दाखिल किया जो ट्रांसफर होकर सुनवाई के लिये न्यायालय उपजिलाधिकारी औराई के यहां प्रेषित की गयी। न्यायालय उपजिलाधिकारी औराई, निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल चुनाव याचिका को विधि विरूद्ध रूप से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत आदेश दिनांक 25.08.2025 के पारित किया है। पंचायत हरीपट्टी के प्रधान पद के चुनाव में मतदान के लिये दो बूथ संख्या 174, 175 कायम किए गये। पीठासीन अधिकारी की डायरी, जो प्रपत्र संख्या 35 में बूथ संख्या 175 पर कुल 471 मत पड़ना दिखाया गया है, लेकिन प्रपत्र संख्या 36 जो बूथ संख्या 175 के निस्वत ही है, उसमें कुल मतों की संख्या 491 बतायी गयी है। आदेश दिनांक 25–08–2025 विदाउट रिजनिंग है। विचाारण न्यायालय ने सभी वाद बिन्दुओं का तार्किक रूप से निष्कर्ष देकर उसे निस्तारित नहीं किया है। न्यायालय उपजिलाधिकारी औराई ने अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग न करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भली–भांति अवलोकन

नहीं किया। इस प्रकार न्यायालय उपजिलाधिकारी औराई ने अपने निहित क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है और गम्भीर अनियमितता और अवैधानिकता आदेश दिनांक 25–08–2025 पारित करते समय किया है। पंचायत हरीपट्टी के प्रधान पद के चुनाव में मतदान के लिए दो बूथ संख्या 174, 175 कायम किये गये। पीठासीन अधिकारी की डायरी जो प्रपत्र संख्या 35 में बूथ संख्या 175 पर कुल 471 मत पड़ना दिखाया गया है, लेकिन प्रपत्र संख्या 36 जो बूथ सं० 175 के निस्वत ही है उसमें कुल मतों की संख्या 491 बतायी गयी है। चुनाव याचिका में गवाह शेषधर यादव का बयान हुआ है, जो बूथ संख्या 175 पर पीठासीन अधिकारी के पद पर चुनाव के दिन नियुक्त था। उसने स्वयं सशपथपत्र बयान किया है कि बूथ संख्या 175 पर कुल 471 मत पड़े गवाह शेषधर यादव ने प्रपत्र संख्या 36 को देखकर बताया कि यह प्रपत्र संख्या 36 उसके लेख व हस्ताक्षर में नहीं है जबकि जो प्रपत्र संख्या 36 पत्रावली पर उपलब्ध है उस पर शेषधर यादव ने अपना हस्ताक्षर होने से इन्कार किया। प्रपत्र सं0 36 जो बूथ संख्या 175 के बावत् है इस पर जो प्रदीप कुमार का हस्ताक्षर दिखाया गया है चुनाव याचिका में प्रदीप कुमार उपाध्याय का स्वयं बयान हुआ है उसने अपने बयान में कहा है कि बूथ संख्या 175 के सम्बन्ध में जो प्रपत्र सं० 36 पत्रावली में संलग्न है उस पर उक्त गवाह प्रदीप कुमार उपाध्याय का हस्ताक्षर नहीं है फर्जी है न उसके द्वारा तैयार किया गया है। गवाह प्रदीप कुमार उपाध्याय ने कहा है कि बूथ संख्या 175 पर पीठासीन अधिकारी शेषधर यादव थे और गवाह शेषधर यादव ने स्वयं कहा उसने प्रपत्र संख्या 36 बावत् बूथ संख्या 175 प्रपत्र उसने तैयार नहीं किया है इस प्रकार प्रपत्र संख्या 35 व प्रपत्र संख्या 36 जो बूथ संख्या 175 के निस्वत है। उसमें फोर्जरी की गयी है और 471 पड़े मत की जगह 491 मत फर्जी तौर पर दिखाया गया है। इस प्रकार 20 मत का फोर्जरी की गयी है। चूँकि मतगणना में फर्जी धोखाधड़ी पूर्ण कार्यवाही की गयी है और विपक्षी सं० 1 को विजयी घोषित करने के मत गणना में अनियमितता की गयी है और गलत तौर पर विपक्षी संख्या 1 को तीन मत से निर्वाचित घोषित किया गया। इस प्रकार मतगणना में जो गड़बड़ी की गयी, उसको पूरा करने के लिए उसके अनुरूप बनाने के लिए प्रपत्र संख्या 36 फर्जी तौर पर बनाया गया है। जो रिजल्ट सीट बनाई गई उसमें बूथ संख्या 175 पर पड़े मतों की संख्या 491 दिखाई गयी, चूँकि सं० 175 पर फर्जी तौर पर 491 मत गणना में दिखा दिया गया इसीलिए फर्जी तौर पर प्रपत्र सं0 36 में जहां 471 मत होना चाहिए, वहां 491 मत कर दिया गया। इस प्रकार न्यायालय उपजिलाधिकारी औराई ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन न करके बिना उस पर विचार किए ही विधि विरूद्ध रूप से आदेश दिनांक 25–08–2025 पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–08–2025 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है और साक्ष्य पर पारित नहीं है। मतगणना में निगरानीकर्ता के 13 मतों को विधि विरूद्ध रूप से अवैधानिक घोषित किया गया था जिसे कि विपक्षी सं० 1 ने अपनी जवाबदेही में स्वयं स्वीकार भी किया है। इस तथ्य पर न्यायालय उपजिलाधिकारी औराई ने कोई विचार नहीं किया। निगरानीकर्ता व विपक्षी सं० 1 में हार जीत का अन्तर मात्र तीन वोट का है और निगरानीकर्ता ने चुनाव याचिका में इस आशय का अनुतोष मांगा था कि पुर्नमतगणना कराया जाकर चुनाव परिणाम दिनांक 03–05–2021 निरस्त किया जाकर निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत हरीपट्टी का प्रधान घोषित किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रीय व मौखिक साक्ष्य से यह बखूबी साबित है कि मतगणना में गड़बड़ी की गयी है और अभिलेख में फोर्जरी की गयी है प्रथम दृष्टया मामला पुर्नमतगणना का बनता है, लेकिन पुर्नमतगणना का आदेश न देकर न्यायालय उपजिलाधिकारी औराई ने अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया और विधि विरूद्ध रूप से आदेश दिनांक 25–08–2025 पारित किया है। जिसके कायम रहने से सरोही हकतलफी निगरानीकर्ता है जिसका कि न्याय की दृष्टि से निरस्त किया जाना आवश्यक है।

4. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप सूची 6ग से सत्यप्रतिलिपि नकल आदेश दिनांकित 25.08.2025, वाद संख्या 3403/2021 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी 202116670403403 धर्मराज बनाम सलील कुमार आदि कागज सं0 7ग/1 लगायत 7ग/7 दाखिल किया गया है।

5. विपक्षी सं० 1 उपस्थित आये। विपक्षी सं० 8 व 9 की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) उपस्थित आये, किन्तु उनकी ओर से से कोई लिखित आपत्ति/जवाबदेही दाखिल नहीं की गयी। मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुना एवं प्रश्नगत आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

6. पुनरीक्षणकर्ता की तरफ से प्रस्तुत मामले में प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि सन् 2021 में प्रधान पद हेतु सम्पन्न ग्राम पंचायत हरीपट्टी के चुनाव के परिणाम की घोषणा दिनांक 03.05.2021 को हुई, उसमें विपक्षी सं० 1 सलील कुमार, जो प्रधान पद का प्रत्याशी था, उसे 177 मत दिखाया गया और पुनरीक्षणकर्ता को 174 मत दिखाया गया। इस प्रकार मात्र तीन मत से विपक्षी सं० 1 को विजयी घोषित किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि चुनाव मतगणनकर्मियों द्वारा बेईमानीपूर्वक प्रतिवादी सं० 1 के बंडल में 45–46 मतपत्रों को 50 का बंडल दिखाकर गिनती की गयी व याची का 55–60 मतपत्रों का बंडल बनाकर 50 मतपत्र दिखाकर गणना की गयी। आगे यह भी तर्क दिया गया कि उक्त प्रधान पद के चुनाव में मतदान के लिए दो बूथ 174 एवं 175 कायम किये गये, बूथ संख्या–175 से संबंधित प्रपत्र सं० 35 में कुल 471 मत पड़ना दिखाया गया, जबकि बूथ सं० 175 के ही निस्वत प्रपत्र सं० 36 में कुल मतों की संख्या 491 बतायी गयी है। इस प्रकार जो रिजल्टशीट बनायी गयी, उसमें फर्जी तौर पर प्रपत्र संख्या 36 में जहां 471 मत होना चाहिए, वहां 491 मत कर दिया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध उक्त तथ्य एवं साक्ष्य का अवलोकन किये बिना विधि–विरुद्ध ढंग से प्रश्नगत आदेश दिनांकित 25.08.2025 पारित किया गया। अतः प्रश्नगत आदेश निरस्त करते हुए पुनरीक्षण स्वीकार करके पुनरीक्षणकर्ता को ग्राम पंचायत हरीपट्टी का प्रधान निर्वाचित घोषित किये जाने की याचना की गयी।

7. प्रत्यर्थीगण की तरफ से दौरान बहस तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वाद बिन्दु निर्मित करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है, प्रश्नगत आदेश में कोई भी विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रपत्र सं० 36 की प्रति याची पक्ष द्वारा दाखिल की गयी है। कहा गया कि बतौर गवाह सी० डब्लू०–1 प्रदीप

कुमार उपाध्याय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें बूथ नं० 175 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बूथ नं० 175 पर जो हस्ताक्षर किये गये हैं, वह किसने किया है, उन्हें नहीं मालूम। यह याची बतायेगा कि फर्जी प्रपत्र कहां से लाकर दाखिल किया। अतः प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा योजित पुनरीक्षण निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

8. मैंने पक्षकारों के तर्कों के प्रकाश में विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश में यह निष्कर्षित किया है कि याची द्वारा लगाया गया आरोप कि प्रतिवादी सं० 1 के बंडल में 45–46 मतपत्रों को 50 का बंडल दिखाकर गिनती की गयी व याची का 55–60 मतपत्रों का बंडल बनाकर 50 मतपत्र दिखाकर गणना की गयी, इस तथ्य को याची को दर्शित करना चाहिए था कि इस तरह बंडल बनाने से याची का कितने मतों का नुकसान हुआ व 45–50 के बंडल से प्रतिवादी नं० 1 को कितना फायदा हुआ। जबकि कथित बंडलों की संख्या के बारे में किसी एजेंट या प्रत्याशी द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया, क्योंकि प्रत्येक बंडल केवल 50 की संख्या में ही बनाये गये थे। इस तथ्य को याची द्वारा छिपाया गया है। याची के अनुसार शुरू से मतगणना में धांधली हो रही थी, फिर भी याची अथवा उनके एजेंट द्वारा मतगणना कराने से सम्बन्धित कोई लिखित प्रार्थनापत्र रिटर्निंग आफिसर को नहीं दिया गया और न ही कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। प्रपत्र 46 में दर्शाये गये मतों की संख्या को याची द्वारा स्वयं अपने बयान में स्वीकृत किया गया है कि उसे 93 व सलिल को 101 मत मिले। इस प्रकार मतगणना प्रक्रिया में कोई त्रुटि न पाते हुए याची की याचिका बलहीन पाकर खारिज की गयी।

9. मैंने विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली पर सूची सं० 46/1 से प्रस्तुत मतदान स्थल हरीपट्टी पंचायत घर सं० 175 कागज सं० 46/5 लगायत 46/14 का अवलोकन किया। मतदान स्थल सं० 175 प्रपत्र सं० 35 त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में कुल 471 मत पड़ना अंकित है, जबकि इसी मतदान केन्द्र के प्रपत्र सं० 36 में मतपेटी में डाले गये मतों की संख्या 491 अंकित है। इसी प्रकार बूथ क्रमांक सं० 174 के प्रपत्र सं० 35 में मतपेटी में डाले गये मतपत्रों की कुल सं० 310 व प्रपत्र सं० 36 में भी 310 तो अंकित है। उक्त प्रपत्रों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि पूर्व में अंकित कुल मतपत्रों को कटिंग /ओवरराईटिंग की गयी है। उक्त कटिंग/ओवरराईटिंग पर कोई भी लघु हस्ताक्षर का अंकन नहीं किया गया है, इस प्रकार एक ही मतदानस्थल सं० 175 से सम्बन्धित प्रपत्र सं० 35 पीठासीन अधिकारी की डायरी एवं प्रपत्र सं० 36 मतपत्र लेखा में दर्शित मतपत्रों में विरोधाभाष प्रदर्शित होता है।

10. याची पक्ष /पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कहा गया कि उसे प्रपत्र सं० 46, प्रपत्र सं० 35 त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पीठासीन अधिकारी की डायरी एवं प्रपत्र सं० 36 त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन मतपत्र लेखा की छायाप्रतियां, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पं०/नं०नि०) भदोही से प्रमाणित होने के पश्चात नियमानुसार प्राप्त हुई हैं।

11. पत्रावली पर साक्ष्य बयान याची पी०डब्लू०–1 दिनांकित 24.08.2023 उपलब्ध है। साक्षी द्वारा जिरह के बयान में पृष्ठ सं० 2 पर यह प्रश्न

पूंछे जाने पर कि "मतगणना के समय मतगणना कर्मियों द्वारा मतपत्र का बंडल बनाया गया था, कितने–कितने मतपत्रों का बंडल बनाया गया था ।'' उत्तर में साक्षी ने कहा कि विपक्षी सं० 1 का 45/46 मत का बंडल बनाया गया था, जिसकी गिनती 50 मतपत्र मानकर की गयी और धर्मराज/साक्षी का 50–60 मतपत्र का बंडल बनाकर उसकी गिनती 50 की, की जा रही थी। साक्षी प्रदीप कुमार उपाध्याय, जो सी०डब्लू०–1 के रूप में परीक्षित हुआ है, के साक्ष्य में आया है कि पंचायती चुनाव 2021 में ग्राम पंचायत हरीपट्टी के बूथ सं० 175 के सम्बन्ध उसके द्वारा प्रपत्र सं० 36 तैयार नहीं किया गया था और न ही उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इस साक्षी ने बूथ संख्या 174 पर 310 मतपत्र पड़ना व उक्त बूथ से सम्बन्धित प्रपत्र सं० 36 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार करना बताया है। बयान शेषधर यादव, सहायक अध्यापक, जो पंचायती चुनाव 2021 में ग्राम पंचायत हरीपट्टी में बूथ सं० 175 पर बतौर पीठासीन नियुक्त थे, साक्ष्य में अपने संरक्षण में मतदान सम्पन्न होने और मतदान से सम्बन्धित प्रपत्रों को अपने हस्ताक्षर में तैयार करना कहा है। साक्षी ने यह भी कहा है कि बूथ सं० 175 पर कुल 471 मत पड़े थे। बूथ सं० 175 से सम्बन्धित प्रपत्र 35 पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्रपत्र सं० 36 को देखकर बताया कि वह उसके लेख व हस्ताक्षर में नहीं है , वह दूसरे बूथ का पीठासीन अधिकारी नहीं था।

12. विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय/नियत प्राधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध बूथ संख्या 175 हरीपट्टी पंचायत घर से सम्बन्धित प्रपत्र सं० 35 पीठासीन अधिकारी की डायरी की छायाप्रति, प्रपत्र सं० 36 मतपत्र लेखा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, बूथ सं० 174 हरीपट्टी पंचायत घर से सम्बन्धित प्रपत्र सं० 35 पीठासीन अधिकारी की छायाप्रति व प्रपत्र सं० 36 मतपत्र लेखा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन आदि प्रपत्रों व साक्षी / याची पी० डब्लू०–1 के साक्ष्य एवं जिरह का बयान, साक्षी पी० डब्लू०–2 निलेश कुमार के साक्ष्य एवं जिरह का बयान एवं सी० डब्लू०–1 प्रदीप कुमार उपाध्याय पीठासीन अधिकारी के साक्ष्य एवं जिरह का बयान तथा साक्षी शेषधर यादव के साक्ष्य एवं जिरह का बयान का अवलोकन एवं विश्लेषण न करके मात्र यह निष्कर्षित करते हुए कि प्रतिवादी सं० 1 के बण्डल में 45–50 मतपत्रों को 50 का बंडल दिखाकर व याची का 55–60 मतपत्रों का बंडल बनाकर 50 मतपत्र दिखाकर गणना की गयी। इस तथ्य को याची को दर्शित करना चाहिए था कि इस तरह के बंडल बनाने से याची को कितने मतों का नुकसान हुआ और 45–50 के बंडल से प्रतिवादी सं० 1 को कितना फायदा हुआ। इस तथ्य को याची द्वारा छिपाया गया, उपरोक्तानुसार प्रश्नगत चुनाव याचिका खारिज कर महत्वपूर्ण विधिक त्रुटि कारित की गयी, जबकि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय को यह चाहिए था कि वह प्रश्नगत निर्णय/आदेश में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट एवं विधिक रूप से यह विवेचित /विश्लेषित करते कि बूथ सं० 175 व उससे सम्बन्धित प्रपत्र सं० 35 पीठासीन अधिकारी की डायरी व प्रपत्र सं० 36 मतपत्र लेखा में वास्तविक रूप से मतदान के दिन कुल कितने मतदान हुए और उक्त मतदान के पश्चात हुए मतगणना में मतपत्रों में किस प्रत्याशी के कितने मत वैध एवं कितने मत अवैध पाये गये। यह उल्लेखनीय है कि यदि याची /पुनरीक्षणकर्ता द्वारा 45–50 व 50–55 मतपत्रों के बण्डल बनाने में अन्तर अर्थात अपने को कितने मत का नुकसान व दूसरे पक्ष को कितने मत का फायदा होना उल्लिखित नहीं

किया तो इसे आसानी से अन्दाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि बण्डलों की संख्या अधिक नहीं है। यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि याची व विपक्षी सं० 1 को दर्शित वैध मतों में मात्र तीन मत का ही अन्तर है। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश व निर्णय में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्य तथा विधिक स्थिति के अनुसार निष्कर्ष न दिया जाकर विधिक त्रुटि कारित की गयी है, जिसके कारण विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। अतः प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

13. प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। विद्वान नियत प्राधिकारी/ उपजिलाधिकारी औराई द्वारा मुकदमा नं० 3403/2021 कम्प्यूटरीकृत वाद सं० T202116670403403 धर्मराज बनाम सलिल कुमार में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 25.08.2025 अपास्त किया जाता है। विद्वान नियत प्राधिकारी/ उपजिलाधिकारी औराई के न्यायालय की मूल पत्रावली, निर्णय एवं आदेश की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि वह निर्णय में दिये गये सम्प्रेक्षण के आलोक में पुनः सुनवाई कर एक माह के अन्दर विधिनुकूल आदेश पारित करते हुए पत्रावली का नियमानुसार निस्तारण करें। पक्षगण नियत प्राधिकारी/ उपजिलाधिकारी औराई के समक्ष दिनांक 24.04.2026 को उपस्थित हों।

दिनांक 16.04.2026

(अखिलेश दूबे)
जिला न्यायाधीश
भदोही।
J.O.Code No.– UP 5725

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 16.04.2026

(अखिलेश दूबे)
जिला न्यायाधीश
भदोही।
J.O.Code No.–UP 5725

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.04.16 16:59:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court